driving a light motor vehicle with a written permission of the head of an Industrial Training Institute ;

(b) such person is driving a motor vehicle under the supervision of a duly appointed instructor holding a valid driving licence ;

(c) such person shall not give any vehicle other than a light motor vehicle of the Industrial Training Institute, specially acquired for such training purposes ;

(d) such person is medically fit to drive ;

(e) the speed of the vehicle shall not exceed 15 Kms. per hour during the training ;

(f) the training shall be imparted only between 10 A.M. to 5 P.M.

(g) the training shall be imparted only on a light motor vehicle.

[File No. RT-11036|16|91-MVL

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Managar, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004|92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 392] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 1992/आश्विन 8, 1914
No. 392] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 1992/ASVINA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1992

सा.का.नि. 791(अ) :—यतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चालन अनुज्ञप्ति नियम, 1992 (छूट के लिए शर्तें) का मसौदा दिनांक 13 जुलाई, 1992 को अधिसूचना सं.-676(ई) के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II खंड 3, उपखंड (i) में

प्रकाशित किया गया था, जैसा कि मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप धारा (1) के तहत अपेक्षित होता है, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से 30 दिन के भीतर, जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 17 अगस्त, 1992 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और यतः उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 3(2) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः—इन नियमों का संक्षिप्त नाम चालन अनुज्ञप्ति छूट के लिए शर्तें-नियम, 1992 हैं।

2. छूट देने के लिए शर्तें:—मोटर यान चलाने में अनुदेश प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति प्रशिक्षण के दौरान मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्राप्त करेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रशिक्षार्थी है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान की लिखित अनुमति से हल्का मोटर यान चला रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति धारण करने वाले सम्यक् रूप से नियुक्त अनुदेशक के पर्यवेक्षक के अधीन मोटर यान चला रहा है,

(ग) ऐसा व्यक्ति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ऐसे हल्के मोटर यान, से, जिसे प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से अर्जित किया गया है, भिन्न कोई यान नहीं चलाएगा,

(घ) ऐसा व्यक्ति चलाने के लिए चिकित्सक दृष्टया योग्य है।

(ङ) यान की गति प्रशिक्षण के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी,

(च) प्रशिक्षण 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न के बीच दिया जाएगा,

(छ) प्रशिक्षण केवल हल्के मोटर यान पर दिया जाएगा।

[फा.सं.-आर.टी.-11036 16/91-एस.डी.एल]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 30th September, 1992

NOTIFICATION

G.S.R. 791(E).—Whereas the Draft of the Driving Licence (Conditions for Exemption) Rules, 1992, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), was published vide notification No. 676(E), dated 13th July, 1992 is required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within 30 days from the date on which the copies of the said notification is published in the Gazette of India were made available to the public.

And Whereas, copies of the said notification were made available to the public on 17th August, 1992.

And Whereas, no objections and suggestions have been received on the said Draft.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3(2) of the Motor Vehicles Act, 1988, Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULES

1. Short title and commencement :

These rules may be called the Driving Licence (Conditions for Exemption) Rules, 1992.

2. Conditions for grant of exemption :

A person receiving instructions in driving a motor vehicle shall be exempted during training, from the provisions of sub-section (1) of section 3 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), subject to the following conditions, that —

(a) Such person is a trainee undergoing training in an Industrial Training Institute approved by Central or State Government and